सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 35/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. रामेश्वर पुत्र स्व. श्री गोपाल
2. मुकेश पुत्र स्व. श्री गोपाल

समस्त जाति जाट निवासीगण भीमड़ावास तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. सुगनी देवी पत्नि रामनाथ
2. बेजनाथ पुत्र हरजी
3. किशनलाल पुत्र हरजी
4. रामनारायण पुत्र रघुनाथ
5. रामलाल पुत्र रघुनाथ
   समस्त जाति जाट निवासीगण भीमडावास तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
6. राज. सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

प्रतिवादीगण

7. श्रीमति गलोल पत्नि गोपाल जाति जाट निवासी भीडावास तहसील केकड़ी जिला अजमेर

प्रफोर्मा प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–02.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प भीमडावास में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम भीमडावास तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 400 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1515, 1590, 1591, 2274/2535 किता 4 कुल रकबा 0.36 हैक्ट. भूमि वादीगण, प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 7 की संयुक्त खातेदारी, कब्जे काश्त, स्वामित्व व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमें अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कानूनन हक अधिकार नही है। वाद वर्णित आराजीयात में वादीगण एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 7 का संयुक्त 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी 2 व 3 का संयुक्त 5/12 हिस्सा, प्रतिवादी 4 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी 5 का 1/6 हिस्सा है एवं इसी प्रकार संयुक्त काबिज काश्त एवं खातेदारी में चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की नियत बद है तथा वादीगण को वादवर्णित आराजीयात से जबरन बेदखल करने एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 7 के संयुक्त 1/6 हिस्से के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने की धमकी दी तथा बिना विभाजन के आराजी खसरा नम्बर 1515 के आगे आम रास्ते में दीवार निर्माण करके अवैध कब्जा करके वादीगण को बेदखल करने एवं लडाई–झगडा करने पर आमादा है जिसके कारण वादीगण द्वारा यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किया जाकर हिस्से अनुसार मौके पर नाप चोप कर अलग–अलग लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 व उनके नोकर,चाकर,हाली,सीरी,परिवार के सदस्यगण वगै. को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 7 की वाद वर्णित खातेदारी की आराजीयात के 1/6 हिस्से के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करें, ना ही आराजीयात को खुर्द–बुर्द, नष्ट–भ्रष्ट करें तथा खसरा नम्बर 1515 के आगे आम रास्ते में किसी दीवार का निर्माण नही करें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रामसिंह राठौड ने पावर पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। पत्रावली में प्रतिवादीगण को जवाब हेतु कई मौके दिये गये। प्रतिवादीगण का जवाब पेश नही हुआ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी वादीगण, प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से वादी का दावा प्राईमाफेसाई केस बनता है तथा वाद का संतुलन वादी के पक्ष में बनता है।

अतः वादीगण का दावा वाके ग्राम भीमडावास तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 400 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1515, 1590, 1591, 2274/2535 किता 4 कुल रकबा 0.36 हैक्ट. भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौके अनुसार बटवारा किये जाने हेतु स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 7 के हिस्से तक किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें, आराजी को खुर्द–बुर्द, नष्ट–भ्रष्ट नही करें एव ंना ही किसी प्रकार का निर्माण आदि करें। तहसीलदार केकड़ी को वादग्रस्त आराजी का बटवारा किये जाने हेतु 500 रूपये फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौके अनुसार बटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी